छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

# वार्षिक प्रषासकीय प्रतिवेदन

## 2007—2008

| | |
|---|---|
| प्रभारी मंत्री | माननीय श्री हेमचंद यादव |

**मंत्रालय**

| | |
|---|---|
| प्रमुख सचिव | श्री विवेक ढाँड |
| सचिव | श्री सुनील कुजूर |
| अतिरिक्त सचिव | श्री दिलीप वासनीकर |
| विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी | श्री के.के. वषिष्ठ |
| | श्री एस.पी. सेनगुप्ता |
| अवर सचिव | श्री कमर अली |

**विभागाध्यक्ष**

| | |
|---|---|
| प्रमुख अभियंता | 1. श्री पी.आर. अग्रवाल (दि0 31—07—07 को सेवानिवृत) |
| | 2. श्री के.जी.गुप्ता (दि0 30—11—07 को सेवानिवृत) |
| | 3. श्री जे.के. कुक्कल (दि0 01—12—2007 से) |

# भाग – एक

## विभाग की संरचना

### 1.1 सामान्य

शासकीय स्त्रोतों से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सिंचाई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः जल संसाधन विभाग का है ।

### 1.2 संरचना

जल संसाधन विभाग में एक प्रमुख अभियंता के अंतर्गत निम्नानुसार 4 मुख्य अभियंता कार्यालय कार्यरत है :–

**अ.** कछारीय मुख्य अभियंता (दो)

मुख्य अभियंताओं का जिलेवार कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :–

1. महानदी गोदावरी कछार, रायपुर –
   रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम

2. हसदेव कछार, बिलासपुर –
   सरगुजा, कोरिया, जषपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, कबीरधाम (आंषिक)

**ब.** वृहद परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिये मुख्य अभियंता (दो)

1. महानदी परियोजना, रायपुर –
   कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, रायपुर, बीजापुर, नारायणपुर

2. मिनीमाता (बांगो) परियोजना, बिलासपुर
   कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़

### 1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/संभागों का विवरण

वर्तमान में जल संसाधन विभाग में एक प्रमुख अभियंता, 4 मुख्य अभियंताओं की संरचनाएँ, 11 मंडल, 60 संभाग, 291 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रषासन विभाग, रायपुर के परिपत्र क्र. 38/170/3–1/2004, दिनांक 06.02.04 में जारी निर्देषों के अनुसार राज्य स्तरीय अंतिम विभाजन में प्राप्त

अमलों/अराज्य स्तरीय पदों में कार्यरत अमलों के अनुसार मैदानी संरचनाओं का संशोधित सेटअप की स्वीकृति छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 11–2/31/स्था./2005/दि. 04.01.07 द्वारा प्रदान की गई है।

## 1.4 विभाग का दायित्व

प्रदेश में सतही जल तथा भू–जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का मुख्य दायित्व जल संसाधन विभाग का है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- राज्य में जल संसाधन का आंकलन करना और संपूर्ण जल सेक्टर के लिये व्यापक योजना बनाने के लिये नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाईन) जारी करना।

- उपलब्ध जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना ।

- सिंचाई तथा कमांड एरिया के विकास के लिये सिंचाई तथा जल निकास कार्यों के संबंध में नीति निर्धारण करना और संसाधन प्राप्त करने की भूमिका निभाना।

- भू–जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर सिंचाई के लिये जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये नीति निर्धारण करना ।

- योजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा योजनाओं का विस्तृत रूपांकन और परियोजना प्रतिवेदन बनाना ।

- वृहद, मध्यम एवं लघु योजना, उद्वहन तथा नलकूपों का निर्माण, निर्मित सिंचाई योजनाओं का रखरखाव तथा चालन इत्यादि ।

- बांधों, नहरों का विस्तृत रूपांकन, हायड्रोलाजिक अनुसंधान मॉडल अध्ययन तथा निर्माण सामग्री का परीक्षण इत्यादि ।

- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना तैयार करना ।

## 1.5 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

### प्रमुख अभियंता

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष है। उनके अंतर्गत कछार एवं परियोजनाएं कार्यरत है। उनके मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैः–

- कार्य योजना तैयार करना ।
- वित्तीय आबंटन संबंधी कार्य ।
- स्थापना से संबंधित कार्य ।
- औजार एवं संयंत्र का नियंत्रण ।
- विकास एवं अनुसंधान, नियंत्रण एवं पालन ।
- मुख्य अभियंताओं के मध्य समन्वय।

### मुख्य अभियंता

अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कछार (जोन) एवं परियोजना के मुख्य अभियंता भी विभागाध्यक्ष घोषित हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों के त्वरित एवं युक्ति संगत क्रियान्वयन के लिये व्यावसायिक सलाहकार के रूप में प्रतिस्थापित है। वे अपने कार्यक्षेत्र की योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन, वित्तीय अनुषासन लागू करने के लिये उत्तरदायी है ।

### अधीक्षण अभियंता

अधीक्षण अभियंता, मण्डल के प्रभार में या प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता के कार्यालय में संलग्न रहते हुये अपने क्षेत्र के अधीन लेखा कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के संपादन के लिये उत्तरदायी है । अधीक्षण अभियंता ऐसे सभी आदेषों एवं निर्देषों के लिये भी उत्तरदायी हैं जो उन्हें समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होते है। अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये नियंत्रण अधिकारी है।

## कार्यपालन अभियंता

कार्यपालन अभियंता संभाग का शीर्ष अधिकारी है। संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के नियंत्रण में रहते हुये उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये पूर्ण उत्तरदायी है । कार्यपालन अभियंता का कार्य क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें योजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं अन्य समस्त यांत्रिकीय कार्य का समावेष है। इन कार्यों को नियंत्रण में रखते हुये सफलतापूर्वक उनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यपालन अभियंता को योजना, अनुसंधान एवं निर्माण, रख–रखाव से संबंधित समस्त कार्यों को प्रभावी ढंग से कराने का उत्तरदायित्व है ।

## सहायक अभियंता

सहायक अभियंता अनुविभाग के प्रभार में रहते हुये अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति मुख्यतः उत्तरदायी है। सहायक अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से, स्वीकृत मापदण्ड, ड्राईंग एवं नियमों के अनुसार कार्यों का सम्पादन कराने के लिये भी उत्तरदायी है ।

अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुये सहायक अभियंता को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई राजस्व वसूली के लिये नहर समाहर्ता के रूप में केनाल डिप्टी कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें प्रति वर्ष सिंचाई राजस्व वसूली के दायित्व का भी निर्वहन करना है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषन में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य, अनुसंधान एवं ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है एवं वित्तीय आदान–प्रदान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया जाता हैं ।

## उप अभियंता

उप अभियंता, वास्तविक रूप से अपने प्रभार के निर्माण कार्यों के निष्पादन में विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। जल कर वसूली के लिये उसे अतिरिक्त तहसीलदार के समकक्ष अधिकार प्राप्त है एवं सफल जल वितरण के लिये सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है।

## 1.6 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के शेष भाग जल संसाधन में सम्पन्न हैं। प्रदेष में औसत सतही जल प्रवाह 59.90 लाख हेक्टेयर मीटर उपलब्ध (75 प्रतिषत निर्भरता) है। जिसमें से 41.72 लाख हेक्टेयर मीटर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तक इसका 22% ही उपयोग में लाया जा सका है।

छत्तीसगढ़ राज्य की नदियां मुख्यतः वर्षा–पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम पर्वतों से है जो हिम–विहीन है ।

प्रदेष की नदियाँ सभी दिषाओं में प्रवाहित होती हैं। भौगोलिक रचना के अनुसार प्रदेष को पांच नदी कछारों में विभक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में इन नदी कछारों का जल ग्रहण क्षेत्र निम्नानुसार है :–

| | |
|---|---|
| गंगा कछार | 18, 808 वर्ग किमी |
| ब्राह्मणी कछार | 1, 316 वर्ग किमी |
| नर्मदा कछार | 2, 113 वर्ग किमी |
| महानदी कछार | 75, 546 वर्ग किमी |
| गोदावरी कछार | 39, 577 वर्ग किमी |
| **कुल योग** | **1,37,360 वर्ग किमी** |

गंगा कछार उत्तर में, नर्मदा कछार पश्चिम में, ब्राह्मणी कछार उत्तर पूर्व में, महानदी कछार मध्य में और गोदावरी कछार दक्षिण में स्थित है ।

भूगर्भीय जल की मात्रा 13.677 लाख हेक्टेयर मीटर आंकलित है। जिसका 20% वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।

सिंचाई के मुख्य स्त्रोत नहरें, नलकूप, तालाब, कुएँ आदि है। राज्य में शासकीय नहर प्रणाली सिंचाई का प्रमुख साधन है, निजी स्त्रोतों में नलकूप एवं कुएँ द्वितीय क्रम पर आते है ।

वर्ष 2000 में राज्य के गठन के समय में शासकीय स्त्रोतों द्वारा प्राप्त की गयी सिंचाई क्षमता लगभग 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जो कुल बोये गये क्षेत्र का लगभग 23% थी, जो मार्च 2007 में बढ़कर 30% हो गयी है।

## सामान्य प्रमुख विशेषताएं –

छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.36 लाख हेक्टेयर एवं बोया गया क्षेत्र 57.16 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया क्षेत्र 47.70 लाख हेक्टेयर है । प्रदेष के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% वनाच्छादित है। प्रदेष की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामों में बसती है, जो मुख्यतः खेती पर निर्भर है । राज्य गठन के उपरांत राज्य शासन द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। राज्य की कुल बोये क्षेत्र का 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य गठन के बाद मार्च 2007 तक कुल 3.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई। मार्च 2007 की स्थिति में निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं से कुल 17.22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ है, जो निरा बोये गये क्षेत्र का 36% है एवं कुल बोये गये क्षेत्र का 30% है। प्रदेश में वर्तमान में 6 वृहद, 31 मध्यम एवं 2205 लघु योजनायें निर्मित है तथा 5 वृहद, 8 मध्यम एवं 508 लघु योजनायें निर्माणाधीन है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश की विभिन्नि नदियों में 595 एनीकट चिन्हांकित किये गये हैं। इनके निर्माण से निस्तार, कृषि, उद्योगों आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए

जल आपूर्ति के साथ भू–जल संग्रह बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में 50 एनीकट जिनकी लागत रू. 67.80 करोड़ है का निर्माण किया जा चुका है एवं 120 एनीकट जिनकी अनुमानित लागत रू 282.00 करोड़ है, निर्माणाधीन है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत वार्षिक योजना 2007–08 में विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रावधान एवं अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है:–

राषि करोड़ रूपये
सिंचाई हेक्टेयर में

| स.क्र. | योजना | वार्षिक योजना 2007–08 में प्रस्तावित | |
|---|---|---|---|
| | | वित्तीय लक्ष्य | सिंचाई लक्ष्य |
| 1 | वृहद एवं मध्यम | 418.27 | 48108 |
| 2 | लघु सिंचाई योजना | 471.65 | 37000 |
| 3 | बाढ़ नियंत्रण | 3.70 | - |
| | **कुल योग** | **893.62** | **85108** |

1 नवंबर 2000 की समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी। राज्य गठन के पश्चात क्षमता में उतरोत्तर वृद्धि एवं पूर्ण योजनाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

| अवधि | बजट आबंटन (करोड़ रू0 में) | निर्मित सिंचाई क्षमता (हे. में) | कुल सिंचाई (लाख हे0 में) |
|---|---|---|---|
| नवंबर 2000 से मार्च 2001 | - | 12000 | 13.40 |
| अप्रैल 2001 से मार्च 2002 | 294.16 | 71000 | 14.11 |
| अप्रैल 2002 से मार्च 2003 | 501.63 | 42000 | 14.53 |
| अप्रैल 2003 से मार्च 2004 | 577.97 | 98000 | 15.51 |
| अप्रैल 2004 से मार्च 2005 | 818.78 | 75000 | 16.26 |
| अप्रैल 2005 से मार्च 2006 | 714.01 | 55000 | 16.81 |
| अप्रैल 2006 से मार्च 2007 | 859.13 | 41,000 | 17.22 |

# भाग – दो

## विभागीय बजट

**2.1** जल संसाधन विभाग में वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये वृहद, मध्यम, लघु एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये राज्य योजना मण्डल द्वारा रूपये 893.62 करोड़ राशि की निर्धारित आयोजना सीमा के विरूद्ध पुनरीक्षित विभागीय बजट में रूपये 924.27 करोड़ की अनुपूरक सहित राशि प्राप्त हुई है ।

**2.2** विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाओं से 85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । जिसके विरूद्ध दिसंबर 2007 तक 12,254 हे. सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।

### 2.3 आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे कम से कम 50% आदिवासी परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनका लाभान्वित होने वाला क्षेत्र, योजना से कुल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का कम से कम 50% हो, तदनुसार आदिवासी क्षेत्र में 263 योजनायें निर्माणाधीन है। इनमें प्रमुख रूप से खरखरा मोहंदीपाट फेस–1 एवं फेस–2 (जिला दुर्ग) एवं कोसारडेटा मध्यम परियोजना (जिला बस्तर) में निर्माणाधीन हैं।

### 2.4 विशेष घटक योजना

विशेष घटक योजना के अंतर्गत, ऐसी योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे 50% से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्र को लाभ होता है । वर्तमान में निम्न जिलों में विशेष घटक की 8 योजनाएं निर्माणाधीन हैं :–

| स. क्र. | जिला | योजना की संख्या | स. क्र. | जिला | योजना की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | धमतरी | 3 | 3. | रायपुर | 3 |
| 2. | कबीरधाम | 1 | 4. | राजनांदगांव | 1 |
| | | | | **कुल** | **8** |

**2.5.** उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश में 237 सामान्य लघु योजनाएं निर्माणाधीन हैं।
**2.6.** वर्षवार आबंटन एवं व्यय की राशि – संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।

# विभागीय बजट

राशि लाख रू. में

| स. क्र. | लेखा शीर्ष | नवंबर 2000 से मार्च 2001 | | 2001–02 | | 2002–03 | | 2003–04 | | 2004–05 | | 2005–06 | | 2006–07 | | 2007–08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन अनुपूरक सहित | व्यय माह 11/07 तक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **I** | **गैर योजना मद (आयोजनेत्तर** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | वृहद मरम्मत | 464.40 | 479.22 | 1248.40 | 1245.25 | 1810.00 | 1739.57 | 1583.00 | 1583.07 | 1410.00 | 1396.29 | 2032.30 | 2006.42 | 1963.40 | 1821.90 | 2042.05 | 1240.97 |
| 2 | मध्यम मरम्मत | 141.88 | 142.87 | 488.40 | 463.65 | 500.00 | 496.27 | 590.00 | 593.60 | 600.00 | 587.63 | 385.60 | 377.41 | 389.91 | 382.85 | 477.72 | 296.28 |
| 3 | लघु मरम्मत | 424.86 | 358.79 | 654.86 | 614.54 | 770.00 | 757.94 | 780.00 | 773.08 | 850.00 | 821.79 | 897.00 | 861.37 | 1129.50 | 1011.85 | 1188.25 | 544.03 |
| 4 | स्थापना | 1201.52 | 962.58 | 2680.79 | 2781.42 | 3272.52 | 2874.17 | 3209.4 | 3063.13 | 3231.56 | 3129.11 | 3250.90 | 3016.49 | 3763.67 | 3564.10 | 3365.27 | 2247.48 |
| 5 | अन्य (औजार संयंत्र उच्चंत) | 160.00 | 155.32 | 23.00 | 61.15 | 37.00 | 32.63 | 35.00 | 37.54 | 35.00 | 20.30 | 41.00 | 104.21 | 44.00 | 119.30 | 44.00 | 27.88 |
| | **योग आयोजनेत्तर** | **2392.66** | **2098.78** | **5095.45** | **5166.01** | **6389.52** | **5900.58** | **6197.40** | **6050.42** | **6126.56** | **5955.12** | **6606.80** | **6365.90** | **7290.48** | **6900.00** | **7117.29** | **4356.64** |
| **II** | **योजना मद (आयोजना)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | सामान्य | 906.70 | 660.98 | 3441.86 | 2943.89 | 6207.50 | 5643.70 | 10982.00 | 10070.51 | 32365.60 | 27856.87 | 33415.00 | 27096.4 | 36451.00 | 31090.6 | 39854.76 | 13612.13 |
| 2 | ए.आई.बी.पी. | 1252.00 | 1211.68 | 7566.30 | 7558.85 | 15988.00 | 15902.02 | 18222.90 | 17082.77 | 1814.85 | 1345.03 | 1345.25 | 487.66 | 4936.00 | 4062.35 | 4636.00 | 2432.99 |
| 3 | नाबार्ड | 1591.10 | 1252.50 | 4981.52 | 4243.40 | 7038.90 | 6800.88 | 9607.40 | 8456.41 | 23135.00 | 20211.8 | 18420.00 | 15315.53 | 17147.30 | 14533.5 | 15978.00 | 5062.62 |
| 4 | आदिवासी उपयोजना | 1769.98 | 896.78 | 2784.35 | 2052.03 | 6022.00 | 3384.54 | 4086.00 | 1967.11 | 9101.15 | 7621.45 | 9834.00 | 7222.81 | 13186.80 | 8980.67 | 15155.00 | 4450.08 |
| 5 | विशेष घटक योजना | 36.00 | | 410.00 | 163.69 | 539.42 | 207.18 | 110.00 | 74.97 | 472.00 | 422.79 | 1010.00 | 602.23 | 1083.00 | 1053.28 | 6004.00 | 3174.98 |
| 6 | राष्ट्रीय जल विज्ञान परि. | 513.00 | 224.99 | 537.20 | 402.12 | 774.00 | 732.49 | 250.00 | 220.30 | 240.00 | 212.1 | 225.00 | 223.22 | 316.40 | 251.15 | 558.32 | 176.02 |
| 7 | स्थापना | 2421.56 | 1793.64 | 5395.48 | 5088.01 | 5609.80 | 5357.09 | 6004.70 | 5827.22 | 6091.10 | 5864.15 | 6192.72 | 5926.30 | 5946.90 | 6009.93 | 5922.53 | 4518.89 |
| 8 | अन्य (औजार संयंत्र उच्चंत) | 274.13 | 350.26 | 865.00 | 778.63 | 819.30 | 787.24 | 1528.00 | 1553.25 | 1104.00 | 907.57 | 850.00 | 811.84 | 973.50 | 863.54 | 1014.50 | 658.88 |
| 9 | छ.ग. सि.वि.परि. (ए.डी.बी.) | | | | | | | | | | | 109.00 | 0.00 | 783.00 | 396.00 | 3304.00 | 432.84 |
| | **योग आयोजना** | **8764.47** | **6390.83** | **25981.71** | **23230.62** | **42998.92** | **38815.14** | **50791.00** | **45252.54** | **74323.70** | **64441.76** | **71400.97** | **57685.99** | **80823.90** | **67241.02** | **92427.11** | **34519.43** |
| | **महायोग** | **11157.13** | **8489.61** | **31077.16** | **28396.63** | **49388.44** | **44715.72** | **56988.40** | **51302.96** | **80450.26** | **70396.88** | **78007.77** | **64051.89** | **88114.38** | **74141.02** | **99544.40** | **38876.07** |

## 2.7 सिंचाई राजस्व – लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

जल संसाधन विभाग कृषकों को सिंचाई के लिए, नगरीय निकायों को घरेलू उपयोग के लिए, विद्युत ताप गृहों को उर्जा उत्पादन के लिये एवं उद्योगों को औद्योगिक उपयोग के लिये जल उपलब्ध कराता है ।

15 जून, 1999 से संपूर्ण राज्य में विद्यमान एवं प्रस्तावित सभी तालाबों, नहरों इत्यादि से जल प्रदाय के लिये निम्नलिखित तालिका के स्तंभ में वर्णित सभी फसलों के लिए उनके सम्मुख स्तंभ तीन के अनुसार जल दर लागू है।

**छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाओं से कृषि जल प्रदाय की जल दर तालिका**
(प्रवाह एवं उद्‌वहन सिंचाई)

| स. क्र. | फसल का नाम | जल कर रूपये प्रति एकड़ में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | धान–खरीफ | 81 |
| | धान–रबी | 200 |
| 2. | गेहूं अधिकतम तीन सिंचाई पलेवा के साथ | 81 |
| | प्रत्येक एक अतिरिक्त सिंचाई के लिए | 25 |
| 3. | केला, पान, उद्यान की उपज, रबर प्लांट, गन्ना व धान | 300 |
| 4. | हरा चारा, फसल, मूंगफली (रबी), ज्वार, मूंग, (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर (खरीफ), उड़द | 50 |
| 5. | धनिया, चना, मूंगफली (रबी), मूंग (रबी), सरसों, सनफ्लावर (सूरजमुखी), सोयाबीन (रबी), तुअर (रबी) | 100 |
| 6. | कपास साधारण | 70 |
| | कपास संकर | 150 |
| 7. | जौ, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, ककड़ी, डेलोकेसिया, मैथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिंडी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्‌दू, आलू, मूली, पालक, तंबाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियॉ | 200 |
| 8. | वरसीम घास (चारा फसल) | 150 |
| 9. | भूमि की तैयारी के लिये सिंचाई (पलेवा) | 40 |

## 2.8 कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए–जलदर (1.5.2006 से प्रभावशील)

**2.8.1.** औद्योगिक प्रयोजन / ताप विद्युत प्रयोजन हेतु :–

अ. शासकीय स्त्रोत से –

(i) बांध / जलाशय से रू. 3.00 प्रति घनमीटर

(ii) नहर प्रणाली से रू. 3.60 प्रति घनमीटर

ब. नैसर्गिक / स्वनिर्मित स्त्रोत से रू. 0.90 प्रति घनमीटर

**2.8.2** जल विद्युत प्रयोजना हेतु (उपयोग पश्चात् पुर्नप्राप्ति)

अ. शासकीय स्त्रोत से –

(i) बांध/जलाशय से — 30 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर (Kwh) तथा 150 पैसे प्रति 100 इकाई विद्युत उत्पादन पर प्रतिवर्ष एस्केलेशन चार्जेस

(ii) नहर प्रणाली से — 36 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर (Kwh) तथा 180 पैसे प्रति 100 इकाई विद्युत उत्पादन पर प्रतिवर्ष एस्केलेशन चार्जेस

ब. नैसर्गिक/स्वनिर्मितस्त्रोत से — 06 पैसे प्रति विद्युत इकाई उत्पादन (Kwh) उत्पादन पर

**वर्ष 2003–04 से वर्ष 2007–08 के दिसंबर 07 तक सिंचाई उद्योग पेयजल आदि से राजस्व वसूली के आंकड़े :–**

राशि लाख रू. में

| स. क्र. | वर्ष | वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष राशि | चालू वर्ष की मांग राशि | कुल राशि | वसूली | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अवशेष राशि | चालू मांग से | कुल वसूली |
| 1. | 2003–04 | 9994.05 | 6080.58 | 16074.63 | 1919.89 | 2975.74 | 4895.63 |
| 2. | 2004–05 | 10987.43 | 6357.66 | 17345.09 | 1058.88 | 4485.14 | 5544.02 |
| 3. | 2005–06 | 9960.99 | 5064.28 | 15025.27 | 878.38 | 3469.69 | 4348.08 |
| 4. | 2006–07 | 14940.11 | 10293.66 | 25233.77 | 3619.13 | 7461.48 | 11080.61 |
| 5. | 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) | 10192.31 | 11519.33 | 21711.64 | 1152.20 | 5896.47 | 7048.67 |

# भाग – तीन

## राज्य योजनाऐं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

### 3.1 राज्य योजनाऍ :–

वर्तमान में प्रदेष में 5 वृहद, 8 मध्यम एवं 508 लघु सिंचाई योजनाऍ निर्माणाधीन है, जिनकी कुल लागत लगभग रू. 2140.11 करोड़ आंकलित है। इन योजनाओं में अब तक रूपये 1461.09 करोड़ व्यय किया गया हैं। इन निर्माणाधीन योजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेष की वर्तमान निर्मित सिंचाई क्षमता शासकीय स्त्रोतों से 17.22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 18.99 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। जल संसाधन विभाग द्वारा विकास कार्यो को निरंतर गति देने के लिये विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का वर्ष 2007–08 का कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

(1) वृहद योजना – छत्तीसगढ़ में 6 वृहद परियोजनायें निर्मित है एवं 5 वृहद परियोजनाऍ निर्माण के अग्रिम चरण में है।

(2) मध्यम योजनाऍ – विभाग के अंतर्गत 31 योजनाऍ निर्मित है एवं 8 मध्यम परियोजनाऍ निर्माणाधीन है।

(3) लघु योजनाऍ – विभाग के अंतर्गत 2205 लघु सिंचाई योजनाऍ निर्मित है एवं 508 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन है।

**पूर्ण/निर्माणाधीन योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता का विवरण**
**(मार्च 2007 की स्थिति में)**

क्षमता – मि.घ.मी. में
क्षेत्र – हेक्टेयर में

| स.क्र. | योजनाओं का प्रकार | संख्या | | | उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी) | रूपांकित क्षेत्र | | | निर्मित क्षेत्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्मित | निर्माणाधीन | योग | | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग |
| 1 | वृहद | 6 | 5 | 11 | 5135.43 | 745673 | 218293 | 963966 | 691003 | 213893 | 904896 |
| 2 | मध्यम | 31 | 8 | 39 | 1305.49 | 252772 | 36319 | 289091 | 214422 | 26919 | 241341 |
| 3 | लघु | 2205 | 508 | 2713 | 1369.41 | 667247 | 65788 | 733035 | 529214 | 47274 | 576488 |
| | **योग** | **2242** | **521** | **2763** | **7810.33** | **1665692** | **320400** | **1986092** | **1434639** | **288086** | **1722725** |

उपरोक्तानुसार पूर्ण योजनाओं एवं निर्माणाधीन योजनाओं से लगभग 17.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित हुई हैं।

दिसम्बर 2007 की स्थिति में निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

**3.1.1 वृहद योजनायें :–**

| स. क्र. | योजना का नाम | जिला | प्रशा. स्वी. (रू. करोड़) | प्रारंभ वर्ष | रूपांकित क्षमता (हे.) | सृजित (हे.) (12/07 की स्थिति में) | बजट प्रावधान (07–08) (रू. करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हसदेव बांगो परियोजना | कोरबा/ जांजगीर चांपा | 1312.32 | 1980 | 433500 | 420580 | 105.40 |
| 2. | केलो परियोजना | रायगढ़ | 98.50 | 2007 | 26800 | - | 19.00 |
| 3. | महानदी परियोजना (समूह) | रायपुर/ धमतरी | 845.00 | 1971 | 264311 | 262688 | 32.85 |
| 4. | सोंढूर परियोजना | रायपुर/धमतरी | 71.15 | 1977 | 38470 | 12188 | 20.00 |
| 5. | राजीव आगमेंटेशन (द्वितीय चरण) | रायपुर | 114.45 | 2005 | 28000 | - | 20.00 |
| | **जीर्णोद्धार** | | | | | | |
| 1. | खारंग नहर रिमाडलिंग एवं लाइनिंग कार्य | बिलासपुर | 78.00 | 2007 | 15800 | - | 1.00 |
| 2. | तांदुला लाइनिंग कि.मी. 46 से 68.80 | दुर्ग | 31.97 | 2005-06 | 5804 | 4021 | 14.50 |
| 3. | कोडार लाईनिंग | महासमुंद | 47.68 | 2005-06 | 1420 | 1420 | 4.00 |
| 4. | पैरी बाई तट नहर | धमतरी | 16.53 | 2006-07 | 12146 | - | 1.00 |
| **योग** | | – | **2615.60** | | **826251** | **701617** | **217.75** |

### 3.1.2 मध्यम योजनायें :–

| स. क्र. | योजना का नाम | जिला | प्रशा. स्वी. (रू. करोड़) | प्रारंभ वर्ष | रूपांकित क्षमता (हे.) | सृजित (हे.) | बजट प्रावधान (रू. करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मोंगरा बैराज | राजनांदगांव | 161.44 | 2004-05 | 11500 | 11500 | 8.00 |
| 2. | कर्रानाला | कबीरधाम | 39.20 | 2004-05 | 4100 | - | 12.00 |
| 3. | सूखानाला | राजनांदगांव | 45.74 | 2004-05 | 6270 | - | 17.65 |
| 4. | घुमरिया नाला | राजनांदगांव | 24.78 | 2004-05 | 3050 | - | 10.50 |
| 5. | सुतियापाट परि0 | कबीरधाम | 36.95 | 2004-05 | 3695 | 3695 | 10.00 |
| 6. | खरखरा मोहदीपाट फेस 1 व 2 | दुर्ग | 43.81 | 2003-04 | 12145 | 12145 | 0.02 |
| 7. | कोसारटेडा परि0 | बस्तर | 60.84 | 1980 | 11120 | - | 13.00 |
| 8. | बरनई परि0 | सरगुजा | 4.26 | 1984 | 2820 | 2470 | - |
| | **जीर्णोद्धार** | | | | | | |
| 1. | सरोदा (नहर लाइनिंग) | कबीरधाम | 4.10 | 2003-04 | 1200 | 900 | 0.50 |
| 2. | खरखरा फीडर नहर लाईनिंग | दुर्ग | 22.60 | 2005-06 | 1300 | - | 13.00 |
| 3. | खरखरा बांयी तट लाइनिंग | दुर्ग | 8.77 | 2006-07 | 300 | - | 4.00 |
| | **योग** | – | **452.49** | | **57500** | **30710** | **88.67** |

3.1.3 प्रदेष के जलाषयों में उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर वर्ष 2007–08 में खरीफ सिंचाई के 12.46 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 10.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दिसम्बर 2007 तक सिंचाई की गई है। वर्ष 2007–08 में 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है।

### 3.2 केन्द्र सहायतित : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

**3.2.1** भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर 2006 में दिये गये संषोधित दिषा–निर्देषों के अनुसार वृहद, मध्यम तथा ई.आर.एम. परियोजनाओं तथा आदिवासी व डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। सामान्य क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु 25% एवं आदिवासी क्षेत्र व डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की योजनाओं हेतु 90% केन्द्रीय सहायता की पात्रता है।

वर्ष 2006–07 में सम्मिलित आदिवासी एवं डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की कुल 43 लघु सिंचाई योजनाओं तथा वर्ष 2007–08 में प्रस्तावित की गई महानदी वृहद परियोजना एवं आदिवासी क्षेत्र की 19 लघु सिंचाई योजनाओं हेतु वर्ष 2007–08 में कुल रू0 49.07 करोड़ राषि की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। हसदेव बांगो वृहद परियोजना फेस-IV, कोसारटेडा मध्यम परियोजना, आदिवासी क्षेत्र की 12 लघु सिंचाई योजनाओं तथा योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत आदिवासी एवं डी.पी.ए.पी. क्षेत्र के अंतर्गत 46 एनीकट योजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है।

3.2.2 केन्द्र सहायतित योजनाएं एवं स्वीकृत त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत (ए.आई.बी.पी.)

| स. क्र. | योजना का नाम | AIBP के अंतर्गत प्रस्तावित लागत | वर्ष 2007–08 में प्रस्तावित व्यय | | | वर्ष 2007–08 में प्राप्त केन्द्रीय सहायता | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राज्यांष | केन्द्रांष | योग | माह | राषि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 27 लघु सिंचाई योजना | 53.95 | 2.92 | 26.33 | 29.25 | अप्रैल–07 | 13.45 | आदिवासी व डी.पी.ए.पी. क्षेत्र |
| 2 | 16 लघु सिंचाई योजना | 65.88 | 4.24 | 38.24 | 42.48 | अप्रैल–07 | 17.16 | आदिवासी क्षेत्र |
| 3 | महानदी परियोजना | 171.71 | 48.78 | 16.26 | 65.04 | अक्टूबर–07 | 7.50 | सामान्य |
| 4 | कोसारटेडा मध्यम परियोजना | 75.23 | 6.50 | 58.53 | 65.03 | – | – | आदिवासी क्षेत्र |
| 5 | हसदेव बांगो परियोजना फेस-IV | 111.08 | 7.00 | 63.00 | 70.00 | – | – | डी.पी.ए.पी. क्षेत्र |
| 6 | 19 लघु सिंचाई योजना | 41.28 | 1.82 | 16.49 | 18.31 | नवम्बर–07 | 10.96 | आदिवासी व डी.पी.ए.पी. क्षेत्र |
| 7 | 12 लघु सिंचाई योजना | 20.62 | 1.42 | 12.92 | 14.34 | – | – | आदिवासी क्षेत्र |
| 8 | 46 एनीकट निर्माण योजना | 85.07 | 3.77 | 34.61 | 38.38 | – | – | आदिवासी व डी.पी.ए.पी. क्षेत्र |

**3.3 नाबार्ड पोषित योजनाएं :**

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था के अभाव में कई निर्माणाधीन योजनायें वर्षों से अपूर्ण स्थिति में चली आ रही थीं । इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिये वर्ष 1995–96 से नाबार्ड से सहायता प्राप्त कर इन्हें पूर्ण करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया । संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

| | | |
|---|---|---|
| ■ मार्च 2007 तक नाबार्ड द्वितीय चरण से बारहवें चरण तक स्वीकृत योजनाएँ (संख्या) | – | 361 |
| • नाबार्ड ऋण स्वीकृति की कुल लागत | – | रू. 698.84 करोड़ |
| • नाबार्ड अंतर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन (द्वितीय चरण से बारहवें चरण तक का लक्ष्य) | – | 1.79 लाख हे. |
| • नवम्बर 2007 तक पूर्ण कुल योजनायें | – | 243 |
| • अतिरिक्त निर्मित सिंचाई क्षमता | – | 1.00 लाख हे. |
| ■ शेष निर्माणाधीन योजनाएँ | – | 118 |
| ■ शेष योजनाओं के पूर्ण करने का कार्यक्रम (संख्या) | | |
| • मार्च 2008 तक | – | 88 |
| • 2008–09 में | – | 30 |
| **कुल** | | 118 |
| ■ 361 योजनाओं की पुनरीक्षित लागत | – | रू.1019.72 करोड़ |
| • मार्च 2007 तक व्यय | – | रू. 730.18 करोड़ |
| • नवम्बर – 2007 तक व्यय | – | रू. 775.84 करोड़ |
| • शेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिये आवश्यक राशि | – | रू. 243.89 करोड़ |

## नाबार्ड पूर्ण योजनाओं की वर्षवार जानकारी

माह – नवम्बर – 2007

सिंचाई क्षमता–हेक्टयर में

| सं. क्र. | चरण | स्वीकृत योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई क्षमता | 1.11.00 से 31.3.03 तक पूर्ण | | 1.4.03 से 31.3.04 तक पूर्ण | | 1.4.04 से 31.3.05 तक पूर्ण | | 1.4.05 से 31.3.06 तक पूर्ण | | 1.4.06 से 31.3.07 तक पूर्ण | | 1.4.07 से 30.11.07 तक पूर्ण | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता | योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता | योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता | योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता | योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता | योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता | योजनाओं की संख्या | नाबार्ड अंतर्गत निर्मित क्षमता |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | द्वितीय | 5 | 2118 | 5 | 2118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2118 |
| 2 | तृतीय | 22 | 11091 | 20 | 7427 | 1 | 1660 | 1 | 2004 | - | - | - | - | - | - | 22 | 11091 |
| 3 | चतुर्थ | 34 | 19687 | 23 | 8676 | 4 | 3018 | 1 | 364 | 5 | 7459 | - | - | - | - | 33 | 19517 |
| 4 | पंचम | 7 | 5220 | 4 | 889 | - | - | 2 | 2955 | 1 | 1376 | - | - | - | - | 7 | 5220 |
| 5 | षष्टम | 24 | 10972 | 7 | 873 | 7 | 5704 | 9 | 2379 | - | - | 1 | 2016 | - | - | 24 | 10972 |
| 6 | सप्तम | 24 | 9003 | 2 | 299 | 8 | 3193 | 9 | 3332 | 3 | 1765 | 1 | 224 | - | - | 23 | 8813 |
| 7 | अष्टम | 98 | 40216 | - | - | 5 | 997 | 41 | 5028 | 20 | 4089 | 5 | 673 | 5 | 4617 | 76 | 15404 |
| 8 | नवम | 49 | 37290 | - | - | - | - | 4 | 470 | 9 | 17579 | 16 | 1496 | 1 | 194 | 30 | 19739 |
| 9 | दशम | 39 | 15380 | - | - | - | - | आंशिक | 500 | 4 | 1722 | 5 | 1797 | 9 | 3757 | 18 | 7776 |
| 10 | ग्यारहवां | 36 | 20804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 486 | 4 | 501 | 5 | 987 |
| | योग | **338** | **171781** | **61** | **20282** | **25** | **14572** | **67** | **17032** | **42** | **33990** | **29** | **6692** | **19** | **9069** | **243** | **101637** |

### 3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–

जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं पर तीव्र गति से कार्य होने के साथ ही अन्य मदों से ऐसे कार्य कराये जा रहे है जिससे प्रदेष की सिंचाई क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हो सके। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 15 जिलों में स्वीकृत कार्यो की संख्या 2386 है। जिनकी लागत रूपये 34961.84 लाख हैं। वर्ष 2007–08 में रूपये 2191.06 से लाख के 206 कार्य पूर्ण हो चुके है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। इन कार्यो से 9831000 मानव दिवस का सृजन किया गया हैं।

# भाग चार

## सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)

4.1 राज्य के विकास में जल संसाधनों का विशिष्ट एवं महत्व पूर्ण योगदान हैं। जल के बिना ग्रामीण विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। समग्र आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं विकास की प्रक्रिया में हितग्राहियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो। सिंचाई जल प्रबंधन में कृषकों की सक्रिय भागीदारी कृषक संगठनों के माध्यम से संभव हैं।

4.2 सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 पारित किया गया है। पूर्व अधिनियम में संषोधनकर जल उपभोक्ता संथाओं में आरक्षण द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। राजस्व वसूली आदि के वित्तीय अधिकार द्वारा संथाओं को स्वालंबी बनाया गया।

4.3 जल उपभोक्ता संथाओं के जिलेवार संख्या एवं विस्तार क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार हैं :–

| स. क्र. | जिला | जल उपभोक्ता संथा की संख्या | विस्तार क्षेत्र (हे में) |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | सरगुजा | 97 | 45997.646 |
| 2 | कोरिया | 22 | 15876.39 |
| 3 | बिलासपुर | 130 | 141833.47 |
| 4 | कोरबा | 29 | 10810.062 |
| 5 | जांजगीर–चांपा | 139 | 207185.715 |
| 6 | रायगढ़ | 45 | 42489.14 |
| 7 | जशपुर | 36 | 13725.421 |
| 8 | राजनांदगांव | 131 | 75050.228 |
| 9 | कवर्धा (कबीरधाम) | 47 | 35527.37 |
| 10 | दुर्ग | 205 | 198260.02 |
| 11 | रायपुर | 203 | 256379.25 |
| 12 | महासमुंद | 62 | 49794.00 |
| 13 | धमतरी | 61 | 91310.11 |
| 14 | बस्तर | 33 | 16560.53 |
| 15 | कांकेर | 41 | 28837.64 |
| 16 | दंतेवाडा | 43 | 14924.541 |
| | **योग** | **1324** | **1244561.533** |

## भाग – पांच
## अभिनव योजना

### 5.1 छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना :
(एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित)

निर्मित सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई क्षमता के अंतर को कम करने के उद्देश्य से पुरानी योजनाओं के पुनरूद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अंतर्गत लिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की 200 लघु एवं 20 मध्यम परियोजना का पुनरूद्धार एवं उन्नयन, जल उपभोक्ता संथाओं का सघन प्रशिक्षण, कृषकों की कृषि पद्धति में सुधार हेतु क्षमता का विकास एवं विभागीय अमले की क्षमता विकास के कार्य सम्मिलित है।

इस परियोजना की लागत रू. 305.74 करोड़ है और यह 30 जून 2006 से प्रभावशील की गई है।

### 5.2 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना – द्वितीय चरण (विश्व बैंक सहायतित) :

विश्व बैंक सहायतित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। इसके मुख्यतः सतही एवं भू–जल की संकलित जानकारी के आधिकाधिक एवं उचित उपयोग से राज्य में जल संसाधनों के विकास की आयोजना एवं रूपांकन, उन्नयन तथा डिसीशन सपोर्ट एवं डिजाइन एड (कम्प्यूटर जनित) आदि कार्य सम्मिलित है। इस परियोजना की कुल लागत 21.51 करोड़ रू. है एवं परियोजना की अवधि छः वर्ष है।

### 5.3 नदी कछारों का एकीकृत मास्टर प्लान :–

सभी प्रयोजनों में जल प्रदाय की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखकर सिंचाई क्षमता की वृद्धि के साथ–साथ जल संवर्धन एवं औद्योगिक उपयोग के लिए सम्पूर्ण प्रदेष की नदियों के जल का अधिकाधिक उपयोग हेतु विभाग द्वारा, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जल संसाधनों का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सक्षम विशेषज्ञ एजेंसी जल एवं शक्ति कन्सलटेन्सी सेवा (WAPCOS) – (भारत सरकार का उपक्रम) को कार्यादेष प्रदान किया

गया है। पूरे प्रदेश के जल संसाधनों का मास्टर प्लान दो वर्षो में तैयार किये जाने का लक्ष्य है। मास्टर प्लान तैयार होने पर जल संसाधनों का समन्वित विकास, और अधिक तेजी से किया जाना संभव होगा।

## 5.4 कृषकों को सिंचाईकर में छूट :

राज्य शासन के निर्णयानुसार कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए सिंचाई कर की कुल बकाया राषि का 50% दिनांक 31 मार्च, 2008 तक जमा करने पर संबंधित कृषक को 50% बकाया कर की राषि माफ किया जायेगा। इससे राज्य के कुल 10.71 लाख कृषक लाभांवित होंगे तथा रू. 36.22 करोड़ की छूट प्राप्त होगी।

## भाग–छैः
## सारांश

6.1 प्रदेश का विकास मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है, जो बिना जल के संभव नहीं है । राज्य शासन द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2007–08 में रू. 893.62 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य के वर्तमान सिंचाई प्रतिशत 30% को राष्ट्रीय स्तर (48.90%) के समतुल्य लाने के लिये विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य द्रुतगति से संपादित किये जा रहे हैं।

6.2 राज्य के 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में जल संसाधन के विकास कार्यो हेतु रू0 5200.00 करोड़ की आयोजना सीमा प्रस्तावित है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मार्च 2007 तक 342505 हेक्टेयर की भूमि में सिंचाई सुविधा का लक्ष्य निर्धारित था। जिसके विरूद्ध 3,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई निर्मित की जा सकी है।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦